रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8—अप्रैल 14, 2017 (चैत्र 18, 1939)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8—APRIL 14, 2017 (CHAITRA 18, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	337
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	287
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	337
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	397
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	41
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	601
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	337
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	287
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	337
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	397
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	41
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	601
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I— खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2017

संकल्प

सं. 11034/48/2014-रा.भा.(नीति)—आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में राजभाषा गौरव पुरस्कार एवं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत संकल्प संख्या 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 31 अक्टूबर 2016 के क्रम में उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया गया है:

1.1 वर्तमान में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत तीन बड़े और तीन छोटे मंत्रालयों को पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों को बार-बार पुरस्कार मिलतें हैं, जिसके कारण अन्य मंत्रालयों/विभागों को अवसर नहीं मिलता। अत: यदि किसी मंत्रालय/विभाग को लगातार दो वर्षों तक प्रथम पुरस्कार दिया जाता है, तो उसे तीसरे वर्ष पुरस्कार न देते हुए अन्य विभाग को अवसर दिया जाएगा।

1.2 राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं में छपे उत्कृष्ट लेख लिखने वाले लेखकों को नकद राशि के साथ प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न भी प्रदान किए जाएंगे।

1.3 क्षेत्रीय पुरस्कारों में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए दो श्रेणी हैं। (क) 50 कार्मिकों तक की संख्या वाले कार्यालय तथा (ख) 50 कार्मिकों से अधिक संख्या वाले कार्यालय। अब 10 कार्मिकों तक के कार्यालयों की एक अलग श्रेणी बनायी जाएगी और इस श्रेणी में केवल प्रथम पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए प्रत्येक भाषायी क्षेत्र में कुल सात पुरस्कार होंगे, अर्थात 1 से 10 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए एक पुरस्कार, 11 से 50 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार तथा 50 कार्मिकों से अधिक संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे।

2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार पाने वाले कार्यालयों के नाम का विचार क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए नहीं किया जाएगा।

3. पुरस्कार योजना में उपर्युक्त संशोधन 1 अप्रैल 2017 से कार्यान्वित होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 मार्च 2017

संकल्प

विषय: गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में डा. तरूण विजय, संसद सदस्य (राज्य सभा) के स्थान पर श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर, संसद सदस्य (राज्य सभा) नया सदस्य का नामांकन।

सं. 20012/02/2013-हिन्दी—गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य डॉ.तरूण विजय, संसद सदस्य (राज्य सभा) का कार्यकाल समाप्त होने पर वह इस समिति के सदस्य नहीं रहे हैं। उन के स्थान पर संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर, संसद सदस्य (राज्य सभा) का नामांकन किया गया है। अत: उन्हें इस समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर, संसद सदस्य (राज्य सभा), समिति का कार्यकाल समाप्त होने तक अथवा राज्य सभा में सदस्य के रूप में, उनका कार्यकाल समाप्त होने की अवधि तक, इनमें से जो भी पहले हो, समिति के सदस्य बने रहेंगे।

समिति की शेष शर्तें तथा नियम यथावत रहेंगे।

सहेली घोष रॉय
संयुक्त सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 फरवरी 2017

संकल्प

सं. 11011/1/2015-हिंदी—महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करते हुए निम्नलिखित को समिति में शामिल करने का निर्णय लिया गया है :

1. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष
2. गैर-सरकारी सदस्य (संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित)
(एक राज्य सभा सदस्य)

श्री आर. के. सिन्हा — सदस्य
सी-1/22, हुमायूं रोड, नई दिल्ली-110003
136, अन्नपूर्णा भवन, अन्नपूर्णा पथ,
वैस्टर्न मैनपुरा, थाना दीघा,
पटना (बिहार)-800010

समिति के कार्य, उसका कार्यकाल एवं अन्य शर्तें दिनांक 05 मार्च, 2015 के संकल्प संख्या 11015/1/2014-हिंदी के अनुरूप होंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

रश्मि सक्सैना साहनी
संयुक्त सचिव (प्रभारी राजभाषा)

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2017

विषय : भारत अवसंरचना कोष (बीआईके) की स्थापना ।

सं. के-14011/16/2016-यूडी-।।।—अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय बजट 2016-17 में ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में 4% की दर से अवसंरचना उपकर लगाया गया है । अवसंरचना

उपकर से प्राप्ति को भारत के लोक लेखे में, मुख्य शीर्ष -8235-सामान्य और अन्य आरक्षित कोष के अंतर्गत एक समर्पित 'भारत अवसंरचना कोष (बीआईके)' नामक गैर-व्यपगत निधि में जमा कराया जायेगा । 'भारत अवसंरचना कोष (बीआईके)' में जमा की गई राशि स्मार्ट सिटीज, अमृत, मेट्रो परियोजनाओं, सागरमाला अंतर्देशीय जलमार्ग विकास जैसी स्कीमों और अन्य ऐसी अन्य अवसंरचना स्कीमों/ परियोजनाओं पर खर्च की जायेगी जैसाकि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए ।

2. इस समर्थकारी प्रावधान के अनुसरण में, भारत सरकार ने अपनी 1 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 1/2016-अवसंरचना उपकर के द्वारा 1 मार्च, 2016 से उत्पाद शुल्क के 4% की दर से अवसंरचना उपकर लगाया है।

3. सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्र किये गए अवसंरचना उपकर का लेखा-जोखा मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीसीए, सीबीईसी) द्वारा भारत की समेकित निधि (0038.03.506-भारत अवसंरचना उपकर) में रखा जा रहा है ।

4. सीसीए, सीबीईसी अवसंरचना उपकर के विषय में प्राप्ति सीसीए, शहरी विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराएगा ताकि शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों के अंतर्गत भारत अवसंरचना कोष को अंतरित मुख्य शीर्ष 2217.05.797 के तहत शहरी विकास मंत्रालय उपयुक्त प्रावधान कर सके तथा अवसंरचना उपकर प्राप्ति को भारत अवसंरचना कोष को अंतरित कर सके ।

5. पीएओ (शहरी विकास मंत्रालय) संबंधित लेखाशीर्ष में अंतरण प्रविष्टि करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत बजट राशि का अंतरण करेगा ।

6. अवसंरचना उपकर की प्राप्तियों को जमा करने के लिए मुख्य शीर्ष '8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों' के नीचे 'भारत अवसंरचना कोष' नाम से नए लघु शीर्ष के अधीन भारत की लोक निधि के ब्याज रहित खंड में एक समर्पित गैर-व्यपगत निधि संस्थापित की जाती है।

7. भारत अवसंरचना कोष (बीआईके) में प्राप्त निधि को वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित ऐसी अन्य अवसंरचना स्कीमों/परियोजनाओं पर खर्च किया जायेगा ।

8. 'भारत अवसंरचना कोष (बीआईके)' को इस प्रकार अंतरित अवसंरचना उपकर की प्राप्तियों का उपयोग, ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों और घटकों के अनुसार किया जायेगा ।

9. उपकर प्राप्तियों को 'भारत अवसंरचना कोष (बीआईके)' में अंतरित करने की लेखांकन प्रक्रिया शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लेखा महानियंत्रक के परामर्श से बनायी जायेगी ।

10. 'भारत अवसंरचना कोष (बीआईके)' से व्यय की निगरानी संबंधित मंत्रालयों की प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से की जायेगी । 'भारत अवसंरचना कोष (बीआईके)' के लेखे आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के अधीन होंगे ।

11. 'भारत अवसंरचना कोष (बीआईके)' की स्थापना भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

सुनील कुमार पाल
अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 20th February 2017

RESOLUTION

No. 11034/48/2014- O.L(Policy)—To encourage various genres of modern knowledge & science and to promote Official Language, in continuation of Department's Resolution No. 11034/48/2014-O.L(Policy) dated 31 October, 2016 the following partial modifications have been made in Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojana and Rajbhasha Kirti Puraskar Yojna :

1.1 At present under Rajbhasha Kirti Puraskar Yojana, three big and three small Ministries are awarded. Some Ministries/Departments get awards time and again due to which other Ministries/Departments do not get a chance. Therefore if a Ministry/Department gets first prize consecutively for two years then that Ministry/Department will not be awarded the third time, instead some other Ministry/Department will be given an opportunity.

1.2 Under Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna, the Authors of the outstanding articles published in Grih Patrika of the Central Government Ministry/Department, who are awarded cash prizes will now be given a certificate and a memento too.

1.3 For Regional Level Awards, Central Government Offices are divided into two categories (a) Offices with strength upto 50 personnel and (b) Offices with strength of more than 50 personnel. There will now be a third category for Offices with strength of upto 10 personnel and under this category only first prize will be given. In this way there will be a total of 7 prizes for Central Government Offices in every Language Region i.e.- One prize for the Office with a strength of 1 to 10 personnel, 3 prizes for the Offices with a strength of 11 to 50 personnel and 3 prizes will be given to the Offices with a strength of more than 50 personnel.

2. The name of the Offices which have received first and second prize at National level, shall not be considered for Regional level awards.

3. The amendment in above "Puraskar Yojna" will be implemented w.e.f. 1st April 2017.

ORDER

It is ordered that copies of this resolution may be sent to all the state Governments, Union Territory Administrations all the Ministries/Departments of Government of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this resolution may be published in gazette of India for general information.

BIPIN BEHARI
Joint Secretary

———————

New Delhi-110001, the 24th March 2017

RESOLUTION

Subject: Nomination of Shri Harshvardhan Singh Dungarpur, M.P (Rajya Sabha) as a new member in place of Dr. Tarun Vijay, M.P (Rajya Sabha) in the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Home Affairs—Reg.

No. 20012/02/2013-Hindi—Dr. Tarun Vijay, M.P. (Rajya Sabha) is no more a non-official member of Hindi Advisory Committee of the Ministry of Home Affairs, as his tenure in Rajya Sabha has expired. Shri Harshvardhan Singh Dungarpur M.P (Rajya Sabha) has been nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs in his place, as a member. Therefore, he is nominated as a member of this committee.

Shri Harshvardhan Singh Dungarpur, M.P. (Rajya Sabha) will continue to be a member of Hindi Advisory committee till it exsits or his tenure expires in (Rajya Sabha), whichever is earlier.

Other terms and rules of the committee will be the same.

SAHELI GHOSH ROY
Joint Secretary

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 28th February 2017

RESOLUTION

No. 11011/1/2015-Hindi—It has been decided to include the following in the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Women and Child Development :

I.	Minister of State for Women & Child Development	Deputy Chairperson

II. Non Official Members
(one Member from Rajya Sabha)
Shri R.K. Sinha — Member
C-1/22, Humayun Road, New Delhi-110003
136, Annapurna Bhavan, Annapurna Path,
Western Mainpura, P.S. – Digha,
Patna, Bihar—800010

Function, tenure of the Samiti and other conditions will remain same as mentioned in the resolution No. 11015/1/2014-Hindi dated 05 March, 2015.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Members of the Committee, all State Governments and UTs, PM Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all Ministries and Departments of the Government of India.

RASHMI SAXENA SAHNI
Joint Secretary (i/c OL)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 17th March 2017

Sub: Setting up of Bharat Infrastructure Kosh (BIK)

No. K-14011/16/2016-UD-III—For the purposes of financing infrastructure projects, Infrastructure Cess at the rate of 4% as excise duty on goods specified in the Eleventh Schedule, has been levied in Union Budget 2016-17. The proceeds of the Infrastructure Cess is being credited into Public Account of India, a dedicated non-lapsable fund entitled "Bharat Infrastructure Kosh (BIK)" under Major Head-8235-General and other Reserve Funds. Amount credited to the "Bharat Infrastructure Kosh (BIK)" will be spent on schemes such as Smart Cities, AMRUT, Metro Projects, Sagarmala Development of Inland Waterways and such other infrastructure schemes/projects, as notified by Ministry of Finance from time to time.

2. Pursuant to this enabling provision, the Government of India, vide its Notification No. 1/2016-Infrastructure Cess dated 1st March, 2016 levied Infrastructure Cess @ 4% of excise with effect from 1 March 2016.

3. The Infrastructure Cess levied and collected by the Government is being accounted for in the Consolidated Fund of India (0038.03.506- Bharat Infrastructure Cess) by the Chief Controller of Account, Central Board of Excise and Customs (CCA, CBEC).

4. CCA, CBEC will provide the receipts on account of Infrastructure Cess to CCA, M/o Urban Development to enable Ministry of Urban Development to make suitable provisions under Major Head 2217.05.797 transfer to Bharat Infrastructure Kosh under the Demand for Grants of Ministry of Urban Development to facilitate transfer of proceeds of Infrastructure Cess to Bharat Infrastructure Kosh.

5. The PAO (Ministry of Urban Development) will transfer the budget amount being sanctioned by the Competent Authority by passing the transfer entry in the concerned head of account.

6. A dedicated non-lapsable fund is constituted in the non-interest bearing section of Public Account of India under the new minor head with the nomenclature 'Bharat Infrastructure Kosh' below the Major Head '8235 – General and other Reserve Fund' for crediting the proceeds of Infrastructure Cess.

7. The fund accruing into Bharat Infrastructure Kosh (BIK) will be spent on such other infrastructure schemes/projects, as notified by Ministry of Finance from time to time.

8. The proceeds of Infrastructure Cess thus transferred to the "Bharat Infrastructure Kosh (BIK)" will be utilized as per the guidelines and components of the respective schemes /programmes as mentioned in para 1 above.

9. The accounting procedure for transferring the proceeds of cess into the "Bharat Infrastructure Kosh (BIK)" will be formulated by the Ministry of Urban Development in consultation with Controller General of Accounts.

10. The expenditure from the "Bharat Infrastructure Kosh (BIK)" will be monitored through the Management Information System of the respective Ministries. The accounts of the "Bharat Infrastructure Kosh (BIK)" shall be subject to internal and statutory Audit.

11. The "Bharat Infrastructure Kosh (BIK)" is constituted with effect from the publication of this notification in the Gazette of India.

SUNIL KUMAR PAL
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017
DOPGIPF—[PART I—SEC.1] www.dop.nic.in

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.04.08 11:45:12 +05'30'